

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 314/2024



अनिल कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. अजय कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. उषा देवी पुत्री श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. इन्द्रा पुत्री श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. पुष्पा पत्नी श्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. अनुपमा पुत्री श्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. पूजा बोधरी पुत्री श्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 24.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 16 ए.एम. पी. के खाता सं. 87/71 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 4.058 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 15 ए.एम.पी. के खाता सं. 3/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 0.238 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 80/60 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.834 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार इसी चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 106/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.455 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 15 ए.एम.पी. के खाता सं. 4/8 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1.403 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 5 ता 7 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .......... निल .......... मुब्लिक ..........निल .......... बाबत ..........  
निल.......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..........को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं गोहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया